

राजस्थान - सरकार
शिक्षा - विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ1(23-01)RPSC / Appt / HRD / 2022 / 906

दिनांक: 07 मार्च 2024

संशोधन-आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक:एफ1(23-01)RPSC / Appt / HRD / 2022 / 903 दिनांक: 06 मार्च 2024 जिसके द्वारा चित्रकला विषय के नवव्ययनित 08 सहायक आचार्यों को उनके सम्मुख अंकितानुसार राजकीय महाविद्यालयों में नियुक्ति प्रदान की गई है, के विन्दु संख्या 17 के नीचे विन्दु संख्या 18 निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

18. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 16623/2022 मो. हनीफ एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन होगी।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ1(23-01)RPSC / Appt / HRD / 2022 / 906

दिनांक: 07 मार्च 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ.7(7)(16) शर्ती / A.P./Coll. Edu./2018-19/304 दिनांक 04.11.2022 के सन्दर्भ में।
2. निजी सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. प्राचार्य सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय।
6. सम्बन्धित जिले के अधीक्षक, चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. सम्बन्धित अभ्यर्थी।
8. स्थापना शाखा/कार्मिक शाखा/गोपनीय शाखा/कम्प्यूटर शाखा/रक्षित पत्रावली।
09. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref
6018982



Digitally signed by Hars Sawansukha
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2024.03.07 15:48:34 IST
Reason: Approved